



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082024-256640
CG-DL-E-24082024-256640

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3281]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 23, 2024/भाद्र 1, 1946

No. 3281]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 23, 2024/BHADRA 1, 1946

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2024

का.आ. 3598 (अ).—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 के खण्ड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से चुने गए श्री हरेन्द्र सिंह मलिक और सुश्री बांसुरी स्वराज को उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्षीन, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित करती है।

सदस्यों का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा (6) में निहित उपबंधों द्वारा शासित होगा।

[फा. सं. वी-16020/71/2024-आईएनआई-1]

अंकिता मिश्रा बुंदेला, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणः प्रधान अधिसूचना को दिनांक 06.12.2021 के का.आ. 5138 (अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया और निम्नानुसार आगे संशोधित किया गया:
(i) का.आ. 1128(अ) दिनांक 09.03.2022

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2024

S.O. 3598 (E).—In exercise of powers conferred by Clause (g) of Section 4 of All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), the Central Government hereby notifies Shri Harendra Singh Malik and Ms. Bansuri Swaraj, elected from among themselves by the Members of Lok Sabha to serve as members of All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.

The term of office of members shall be governed by the provisions contained in Section (6) of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F. No. V-16020/71/2024-INI-I]

ANKITA MISHRA BUNDELA, Jt. Secy.

Foot Note: The Principal notification was published in the Gazette of India (E) Vide S.O. 5138 (E) dated 06.12.2021 and amended further by:

(i) S.O. 1128(E) dated 09.03.2022